-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में चाचा की पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या कर देने वाले भतीजे को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में चाचा की पेट्रोल डालकर जलाकर मार देने वाले भतीजे को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना फतेहगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जबरापुर का रहने वाला राभरोसा पुत्र गनेश द्वारा दिनांक 28.10.2020 को अपने चाचा बिन्दा प्रसाद के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाकर उसकी हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में मृतक के बेटे शिवपूजन की तहरीर पर थाना फतेहगंज पर मु0अ0सं0 33/2020 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक पंकज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 30.10.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 05.12.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक श्री रामकुमार सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अनिल रायकवार तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-I बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. रामभरोसा पुत्र गनेश निवासी जबरापुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा

अभियोग-

- मु0अ0सं0 33/2020 धारा 302 भा0द0वि0 थाना फतेहगंज जनपद बांदा।